रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072025-264801 CG-DL-E-18072025-264801

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]

No. 436]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

सं. 25/2025-सीमाश्ल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 479(अ).— जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतिशमन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "एनिलीन" (एतिशमन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिशमन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ उपशीर्षक 2921 41 के अंतर्गत आता है, के आयातों पर प्रारम्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 19 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.िन. 124(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना सं. 7/10/2024-डीजीटीआर, दिनांक 24 सितंबर, 2024, जिसे दिनांक 24 सितम्बर, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के अनुसार तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन, उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के अनुपालन में समीक्षा का कार्य शुरू किया था;

4809 GI/2025 (1)

और जहां कि विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/10/2024-डीजीटीआर, दिनांक 22 अप्रैल, 2025, जिसे दिनांक 22 अप्रैल, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से निरंतर पाटन जारी है और यदि इस शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसे आयात का भारत के बाजार में बहुत कम मूल्य पर पंहुचते रहने की संभावना है;
- (ii) विषयगत देश से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है;
- (iii) लिखित सूचनाओं के आधार पर ऐसा पता चलता है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क को यदि इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाता है तो इसके पाटन के बने रहने और इस प्रकार की क्षति के होते रहने की संभावना है;
- (iv) ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि यदि इस स्तर पर प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो इन वस्तुओं की यहां भरमार होती रहेगी और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचती रहेगी,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली ऐसी क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के लिए सिफारिश की है;

अत: अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षिति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 19 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 124(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-॥, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक/उपशीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पाप इकाई के अनुसार और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पाप इकाई के अनुसार और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार और

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक/उपशीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	2921 41	एनिलीन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड	36.90	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई भी देश	ऊपर बताए गए संयोजन के अलावा कोई भी संयोजन	121.79	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	- तदैव-	- तदैव-	चीन जनवादी	चीन जनवादी	कोई भी	121.79	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

	गणराज्य को	गणराज्य		
	छोडकर			
	छोड़कर कोई भी देश			

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण– इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी- 190349/34/2025-टीआरयू -सीबीईसी]

धीरज शर्मा. अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department Of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

No. 25/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 479(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification number 7/10/2024-DGTR dated 24th September, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th September, 2024, had initiated the review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), and read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Aniline" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff subheading 2921 41 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country) initially imposed *vide* notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 08/2021-Customs (ADD), dated 19th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 124(E), dated the 19th February, 2021;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification number 7/10/2024-DGTR, dated the 22nd April, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, dated the 22nd April, 2025, has come to the conclusion that-

- there is continued dumping of the subject goods from the subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of cessation of duty;
- (ii) dumped imports from subject country are causing injury to the domestic industry;
- (iii) the information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage;
- (iv) there is strong likelihood of diversion of exports of the subject goods from the subject country to India if the existing anti-dumping measure ceases to exist,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), number 08/2021-Customs

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

(ADD), dated 19th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 124(E), dated the 19th February, 2021, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the following Table below, falling under heading/subheading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as indicated in the corresponding entry in column (7), as per unit of measurement(UOM) as specified in the corresponding entry in column (8) and in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and of the said Table, namely:-

TABLE

SN	Heading/ subheading	Description of the goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	UOM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2921 41	Aniline	China PR	Any country including China PR	Wanhua Chemical Group Co., Limited	36.90	MT	US\$
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any combination other than the combination specified above	121.79	МТ	US\$
3	-do-	-do-	Any country except China PR	China PR	Any	121.79	МТ	US\$

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190349/34/2025-TRU Section-CBEC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.